

छत्तीसगढ़ फिल्म लोककला एवं मिनी थियेटर

सहकारी समिति मर्या.-CFLMT

(रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग,)
सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग



अमित परगनिहा

संस्थापक-प्रदेश अध्यक्ष

अलका परगनिहा (चंद्राकर)

अध्यक्ष-रायपुर संभाग

संपूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ की अपने उद्देश्यों के आधार पर
लोक कलाकारों एवं मिनी थियेटर की प्रथम सहकारी समिति ।

- छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में पंजीयन कर अध्यक्ष आदि पदाधिकारी निर्वाचित हो चुके हैं एवं राज्य स्तरीय फेडरेशन बनाया जा रहा है ।
- छत्तीसगढ़ के 40000 से अधिक सभी विधाओं के लोक कलाकारों की सहकारी समिति ।
- ब्लाक स्तर और छोटे कस्बों में 200-250 सीटर मिनी थियेटर का निर्माण एवं समिति के सदस्य कलाकारों द्वारा संचालन ।
- अगले 3 वर्षों में लगभग 25 मिनी थियेटर प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है ।
- फिल्मों का डिस्ट्रिब्यूटर बनना ।
- प्रति वर्ष इन्टरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कराना ।
- सभी जिलों में लोककला केन्द्र निर्माण और संचालन करना । वर्तमान में मुंगेली में समिति द्वारा लोक कला केन्द्र का संचालन प्रारंभ हो चुका है ।
- सदस्य युवाओं को फिल्म मेकिंग, VFX, विडियो एडिटिंग एवं अन्य तकनीकी विषयों की बड़े शहरो और Institute में ट्रेनिंग एवं कोर्स की कम दर में या निःशुल्क व्यवस्था करना ।
- सभी सदस्य कलाकारों को जरूरत के समय 3 से 5 लाख तक लोन की व्यवस्था कम दरों में कराना ।
- व्यक्तिगत एवं मेडीकल Insurance कराना ।
- सभी सरकारी स्कूलों में सदस्य लोक कलाकारों द्वारा लोकगीत, लोक-संगीत लोक वाद्य आदि पारम्परिक विधाओं की शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्लास दी जाएगी, जिससे क्षेत्रीय लोक कलाकारों को रोजगार, आर्थिक संबल प्राप्त होगा ।
- बस्तर क्षेत्र के सदस्य लोक कलाकारों को छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोड़ी आदि क्षेत्रीय बोली भाषा में फिल्म निर्माण, आदि के लिए तकनीकी सहयोग एवं फिल्मों के लिए क्षेत्र में ही मिनी थियेटर उपलब्ध कराना ।

सहकारी समिति का संपूर्ण उद्देश्य

इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोककला, लोकगीत, लोक साहित्य, लोक गायन, लोक वादन, लोक गाथा के सभी कार्य, फिल्म, लघु फिल्म एवं मिनी थियेटर का निर्माण एवं संचालन सभी सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देते हुए उपरोक्त सभी छत्तीसगढ़ी विधाओं एवं सभी छत्तीसगढ़ी रीति-रिवाजों, तीज- त्यौहार, संस्कारों में गाए, बजाए एवं मंचन किये जाने वाले सभी लोक पारम्परिक विधाओं का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं विकास में सहयोग प्रदान करना ।

- (1) फिल्मों का निर्माण करना जिसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की फिल्म एवं सदस्यों की मांग एवं सहमति पर देश एवं विदेश की सभी भाषाओं में फिल्म, डाक्यूमेन्ट्री आदि का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एवं प्रदर्शन आदि के माध्यम से करना जिससे सदस्यों को आर्थिक लाभ हो सके एवं छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का विकास संवर्धन एवं प्रचार प्रसार हो सके ।
- (2) आर्ट थियेटर एवं मिनी थियेटर्स का निर्माण एवं संचालन ।
- (3) छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी, स्टूडियो, फिल्म लाइब्रेरी एवं फिल्मों तथा लोककला के क्षेत्र में रिसर्च आदि करना ।
- (4) सदस्यों को फिल्म रिसर्च एण्ड डेवेलपमेन्ट में मदद करना एवं तकनीकी रूप से उन्नत करने हेतु उपस्कर, उपकरण एवं तकनीक सिखाने बाबत खरीदना एवं प्रशिक्षण में मदद करना ।
- (5) मोबाईल फिल्म Exhibition यूनिट, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का संचालन करना, फिल्मों एवं लोक कलाओं में सेमिनार एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कलाओं के आदान-प्रदान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- (6) सदस्यों को कम दर में फिल्म निर्माण संबंधित तकनीक एवं मशीनरी आदि के मूलभूत तकनीक उपलब्ध कराना ।
- (7) उच्च कोटि का फिल्म एडिटिंग, VFX स्टूडियो का निर्माण ।
- (8) लोककला, गीत संगीत, साहित्य एवं सभी छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु ब्लाक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय में सभागार आडिटोरियम एवं स्टेज थियेटर निर्माण एवं संचालन ।
- (9) सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना जिससे छत्तीसगढ़ के सभी लोक कलाकारों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण किया जा सके ।

- (10) छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की रचनाओं का प्रिंटिंग एवं पब्लिकेशन एवं मार्केटिंग करना जिसके लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ।
- (11) राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं का सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में संचालन करना जिससे सदस्यों को आर्थिक लाभ मिल सकें ।
- (12) केन्द्र एवं राज्य सरकार की सभी प्रचार-प्रसार, नुक्कड़-नाटक, कलाजत्था आदि का कार्यक्रम सहकारी संस्था के सदस्य लोक-कलाकारों के द्वारा संचालन जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो ।
- (13) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी बोली भाषा के लोक कला, लोक गीत, लोक संगीत, लोक वाद्य एवं लोक नृत्य, लोक गाथा, लोक साहित्य, लोक रचना एवं सभी लोक विधाओं के उत्थान विकास संरक्षण संबंधित सभी कार्यों का संचालन ।
- (14) लुप्त होती छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं लोक विधाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य, इस हेतु राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का सहकारी समिति द्वारा संचालन ।
- (15) सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों के लिए शासन की योजनाओं के अंतर्गत भूमि एवं भवन प्राप्त कर सदस्यों को आवश्यकताओं के अनुरूप वितरित करना ।
- (16) सभी सदस्यों का स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा करवाना एवं सदस्यों के आवश्यकतानुसार वित्तदायी संस्थाओं से कम दरो में ऋण उपलब्ध कराना ।
- (17) छत्तीसगढ़ी बोली भाषा लोककला, लोक वाद्य, लोकगीत, संगीत एवं सभी लोक विधाओं के विकास एवं उत्थान हेतु तथा नई पीढ़ी की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।
- (18) राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा लोक कला, लोक वादन, लोक गीत-संगीत समस्त लोक विधाओं के उत्थान हेतु कार्य करना ।
- (19) छत्तीसगढ़ी लोककला एवं बोली भाषा के प्रचार-प्रसार एवं उत्थान हेतु सैटेलाईट टीवी चैनल की स्थापना ।
- (20) अन्य समस्त कार्य करना जो छत्तीसगढ़ी लोक कला, लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी बोली-भाषा एवं पारंपरिक विधाओं को जो सदस्यो तथा क्षेत्र की सहकारिता के विकास के लिए आवश्यक हो ।

लोककला केन्द्र - मुंगेली

